संख्या- 47/2017/1615/41-2017-20 बजट/17

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 28 सितम्बर 2017**

विषय- भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत कपिलवस्तु के पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2371/6-1-1(स्व0दर्श0-बौद्ध सर्किट)/2017, दिनांक 14-08-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना में बौद्ध सर्किट के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर स्थित कपिलवस्तु के पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार के पत्र सं0-5 (11)/2016 एसडी दिनांक 29 सितम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/स्वीकृति के अनुक्रम में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-44 के स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट में प्रावधानित आय-व्ययक से निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित योजना/निर्माण कार्यो के लिए कॉलम-3 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा कॉलम 4 में अंकित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 20 प्रतिशत धनराशि रू0 2,98,50,800.00 (रूपये दो करोड़ अट्ठानवे लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कपिलवस्तु का पर्यटन विकास ।**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
1	**2**	**3**	**4**
1	साइनेजेज, पेय जल व्यवस्था, सी0सी0टी0वी0 एवं वाई-फाई ।	383.13	76.626
2	सोलर लाइटिंग, मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटी (9 क्लसटर्स)	352.42	70.484
3	हेलीपेड डेवलपमेन्ट।	499.05	99.81
4	लास्ट माइल कनेक्टीविटी, वेस्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम।	257.94	51.588
	योग	**1492.54**	**298.508**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-डेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय पर्यटन मंत्रालय (स्वदेश दर्शन डिवीजन), भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0-5 (11)/2016-एसडी दिनांक 29-09-2016 में उल्लिखित कार्यमद/लागत एवं निर्धारित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) योजना के कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(5) प्रश्नगत योजना में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 8/2017 बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों तथा बजट मैनुअल में दिये गये संगत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 07/2017 बी0-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 का पूर्णतया अनुपालन कराते हुए योजना/निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्यों के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत ही भुगतान किया जायेगा तथा अधिरोपित जी0एस0टी0 जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त करते हुए शासन एवं अन्य सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रश्नगत योजना की वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को सेन्टेज का भुगतान अनुमन्यता के आधार पर नियमानुसार ही किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्तिच कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इस सम्बन्ध में यदि किसी अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8) कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) प्रस्तर-2 में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजना के स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा प्रश्नगत योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पतियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(12) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3. प्रस्तर-2 में अवमुक्त की जा रही धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0 के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-641/दस-2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 47/2017/1615/41-2017-20 बजट/17 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
4- मण्डलायुक्त, बस्ती/, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।